(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मण्डरायल जिला करौली

मुकदमा नं0 01/2018

तारीख रजू:– 02.07.2018

पीठासीन अधिकारी :– **श्री रामचन्द्र मीना**
R.A.S.

1. रामफूल
2. रामप्रसाद
3. रामसिंह
4. भंती पुत्री भेरोलाल पत्नि जगन
5. प्यारो पुत्री भैरोलाल पत्नि भजन
6. छगनी बेवा भेरोलाल

पिसरान भैरोलाल बगै0 जाति– गुर्जर, निवासी–मरौना,(नींदर)तहसील– मण्डरायल जिला करौली

————अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत नींदर पंचायत समिति मण्डरायल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नींदर पं0 स0 मण्डरायल
2. रामजीलाल
3. मोती
4. भूरा
5. हरिसिंह
6. मोहनजी

पिसरान शिवली मॉ वन्डोदेवी जाति गुर्जर निवासी विसोरी (बहादुर पुर) तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

7. उगन्तीपुत्री शिवली मॉ वन्डोंदेवी,पत्नी रामजीलाल निवासी–आलमपुरमहोली
8. गुलकन्दी पुत्री शिवली मॉ वन्डोंदेवी,पत्नी भूरा नि0– आलमपुर महोली
9. सुक्को पुत्री शिवली मॉ वन्डों देवी,पत्नी रमेश निवासी– छाहरा चूली
10. रामस्वरूप पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा
11. रामप्रसाद पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा
12. गोपाल पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला–करौली)

13. पप्पू पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा
14. सरूपी पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा
15. पूरन पुत्र सुन्दर मॉ लोहरी निवासी विसोरी बहादुरपुर तह.सपोटरा
16. निहाल पुत्र हल्के गुर्जर नि0 विसोरी बहादुरपुर तह. सपोटरा
17. भगवानसिंह पुत्र हल्के गुर्जर नि0 विसोरी बहादुरपुर तह. सपोटरा
18. भूरसिंह पुत्र धर्मू मॉ रामश्री गुर्जर नि0 खानपुर बडौदा तह0गंगापुर
19. बालूसिंह पुत्र धर्मू मॉ रामश्री गुर्जर नि0 खानपुर बडौदा तह0गंगापुर
20. संजय पुत्र धर्मू मॉ रामश्री गुर्जर नि0 खानपुर बडौदा तह0गंगापुर
21. तहसीलदार मण्डरायल तहसील कार्यालय मण्डरायल

—गैरसायलान/
रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम पंचायत नींदर पंचायत समिति मण्डरायल

उपस्थित :— 1. श्री रामसहाय पाराशर एडवोकेट अपीलान्टस

निर्णय

दिनांक :— 17.07.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अपीलान्टस ने अपील प्रार्थना पत्र विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम पंचायत नींदर पंचायत समिति मण्डरायल जिला करौली जिसकी रूह से हम प्रार्थी अपीलान्ट के पिता स्व0 भैरोलाल पुत्र दयाकिशन गुर्जर की विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा 21 के हक में विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक करने की वजह से जरिए श्री रामसहाय पारासर एडवोकेट न्यायालय हाजा में पेश हुआ।

अपीलान्टस ने जरिए अपील दर्ज किया है कि नामान्तरकरण संख्या 46 दि0 24.05.2017 पूर्णतया विधि विरूद्ध,परवर्स,अरबर्टी, एवं बिना जॉच पडताल किये ग्राम पंचायत नींदर द्वारा तस्दीक किया गया, नामान्तरकण में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं0 934 रकवा 4 बीघा 8 विस्वा, खसरा नं0 1164 रकवा 3 विस्वा, खसरा नं0 1206 रकवा 3 बीघा 9 विस्वा, खसरा नं0 1216 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला–करौली)

नं0123 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 12 वीघा 11 विस्वा वाके
ग्राम मरौना प0ह0 नींदर अपीलान्ट की पैत्रक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमी
हैं। आराजी अपीलान्ट के पूर्वज दयाकिशन पुत्र छीतर गुर्जर के समय की हैं जिस
पर अपने पिता स्व0 भैरोलाल पुत्र दयाकिशन के जीवन काल से वहैसियत खातेदार
काश्त करते चले आ रहे हैं, अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्टस 2 लगा 21 अथवा अन्य दीगर
व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं हैं। प्रार्थी अपीलान्ट का पारिवारिक
सजरा निम्नांकित दर्ज किया है कि दयाकिशन के पुत्र भैरोलाल, भैरोलाल के
रामफूल,रामप्रसाद,रामसिंह पुत्रान, भंती,प्यारों पुत्रियॉ एवं पत्नी छगनी वारिसान हैं।
भौरूलाल पुत्र दयाकिशन नाम का व्यक्ति ग्राम मरौना में किसी भी जाति में आज
तक कोई पैदा नहीं हुआ नाही इस नाम का व्यक्ति ग्राम मरौना में कभी निवास
किया हैं, राजस्व रिकार्ड में भैरोलाल के स्थान पर भौरूलाल गलत दर्ज कर दिया,
रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा 20 भैरोलाल पुत्र दयाकिशन गुर्जर निवासी मरौना के
वंशज अथवा उत्तराधिकारी नहीं हैं, रेस्पोडेन्टस 2 लगा 20 भौरूलाल पुत्र रतन
गुर्जर के उत्तराधिकारी अथवा वंशज हैं, भौरूलाल पुत्र रतन गुर्जर की मृत्यु करीव
50–60 साल पूर्व हो चुकी हैं। जिसके दो पुत्रियॉ बन्डो एव लोहरी थी, जिनकी
रेस्पोन्डेन्टस पुत्र पुत्रियॉ हैं, जिनका उक्त आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई
सम्बंध नहीं हैं। ना ही कभी रहा हैं। राजस्व कर्मीयों ने नामान्तरकरण की कार्यवाही
करते समय गहन एवं निष्पक्षता से जॉच नही की, पटवारी हल्का ने रेस्पोन्डेन्ट 2
लगा 20 की कपट एवं छलपूर्ण वातों में आकर मोटी राशि लेकर विधि विरूद्ध
तरीके से बिना किसी कानूनी प्रकिया के नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया,

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजीयात
नामान्तरकरण सं0 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम पंचायत नींदर पंचायत समिति
मण्डरायल को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट के हक में हमारे पिता स्व.भैरोलाल
पुत्र दयाकिशन गुर्जर निवासी मरौना की विरासत का नामान्तरकरण पुनः खोलने के
निर्देश तहसीलदार मण्डरायल को किये जाने की कृपा करें।

अपील प्रार्थना पत्र जरिए एडवोकेट पेश हुआ,दर्ज रजिस्टर कियाजाकर
जरिये नोटिस रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। दिनांक 01.08.2018 को रेस्पोडेन्टस
1 व 13 स्वंय उपस्थित हुए अन्य रेस्पोडेन्टस जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलव किये
जाने के बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं रहे है, तहसीलदार मण्डरायल ने पत्रांक
1070 दिनांक 18.07.18 के साथ संलग्न कर मूल नामान्तरकरण सं0 46 दिनांक 24.
05.2017 ग्राम पंचायत नींदर भिजवाया गया हैं। पत्रावली दिनांक 26.09.2018,14.11.
18,26.12.2018,10.07.2019 को पेशी पर लाई गई किन्तु रेस्पोडेन्टस 1 व 13
असालतन एवं वकालतन किसी भी प्रकार उपस्थित नहीं हुए। जिन्हे दिनांक 10.07.
2019 को वार वार आवाज दिलाई गई रेस्पोडेन्ट की ओर से वास्ते पैरवी कोई

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करौली)

उपस्थित नहीं हुआ, अतः जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई,पत्रावली के अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने के पश्चता अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि सरपंच ग्राम पंचायत नींदर द्वारा पेश सजरे का पटवारी हल्का नींदर द्वारा बिना जॉच एवं गहन परीक्षण नहीं किया जाना पाया जाता हैं। पटवारी हल्का को उक्त ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में रखवाया जाना चाहिए था, मूल नामान्तरकरण पर सजरा दर्ज करवाये जाने से स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार के वारिसों की जानकारी गॉव के अन्य लोगों नहीं करने एवं मात्र सरपंच द्वारा प्रस्तावित सजरा के आधार पर ही नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही किये जाने का दोषी पाया जाता हैं,नामान्तरण करण राजस्व लोक अदालत,न्याय आपके द्वार 2017 के शिविर दर्ज किया गया जिसमें ग्राम पंचायत/ब्लाक स्तरीय जिम्मेदार कार्मिक एवं जन प्रतिनिधी उपस्थित रहते हैं। जिनके समक्ष यह नामान्तरकरण परीक्षण कर तस्दीक करना नहीं पाया जाता हैं। अतः नामान्तरकरण सं0 46 दिनांक 24.05.2017 ग्राम पंचायत नींदर अपील स्वीकार की जाकर मूल नामान्तरकरण तहसीलदार मण्डरायल को रिमाण्ड किया जाकर खारिज किया जाता है, तहसीलादार मण्डरायल को निर्देश दिये जाते है कि भैरोलाल पुत्र दयाकिशन जाति गुर्जर निवासी मरौना प0ह0 नींदर तहसील मण्डरायल का विरासत का नामान्तरकरण पुनः नियमानुसार परीक्षण करने के उपरान्त अपीलान्टस के हक में तस्दीक किया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवायी जावें एवं दोषी कार्मिक तत्कालीन पटवारी हल्का नींदर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पृथक से की जावें। इस निर्णय की एक प्रति तहसीलदार मण्डरायल को पालना के लिए भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिंनाक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

रामचन्द्र मीना
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करौली)